

निदेशालय, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: चि.प.क./सीएच/एम.टी.सी./14/9618

दिनांक: 22.1.14

अधीक्षक, समस्त राजकीय मेडिकल कॉलेज,
समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, जिला अस्पताल/
उपजिला अस्पताल/चयनित सामु.स्वा.केन्द्र
समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
राजस्थान।

विषय:- आशा सहयोगिनी के द्वारा अति गंभीर कुपोषित बच्चों के रेफरल व परिवहन खर्च हेतु दिशा- निर्देश।


सन्दर्भ:- निदेशालय के आदेश क्रमांक सीएच/13/7064 दिनांक 6.3.13 एवं प्रशासनिक एवं वित्तीय आदेश क्रमांक 7097 दिनांक 3.12.13

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि आदेश क्रमांक. सीएच/13/7064 दिनांक 6.3.13 के अनुसार समुदाय से अति गंभीर कुपोषित बच्चों का MUAC tape द्वारा चिन्हिकरण एवं एम.टी.सी. में रेफरल कराना आशा सहयोगिनी की जिम्मेदारी है।

इसी क्रम में अति गंभीर कुपोषित बच्चों के रेफरल हेतु राशि 100/- एवं परिवहन खर्च वास्ते रु. 200/- (कुल राशि 300/-) प्रति अति कुपोषित बच्चे के लिए आशा सहयोगिनी को दिया जाएगा। निदेशालय के प्रशासनिक एवं वित्तीय आदेश क्रमांक 7097 दिनांक 3.12.13 के अनुसार यह राशि अति गंभीर कुपोषित बच्चे के MTC में भर्ती होने पर ही आशा सहयोगिनी को दी जाएगी।

- उपरोक्त राशि MTC I/C द्वारा सत्यापित कर आशा सहयोगिनी द्वारा लाए हुए अतिकुपोषित बच्चे के भर्ती होने पर ही MTC से भुगतान की जाएगी।
- यह राशि आशा सहयोगिनी द्वारा बच्चे के साथ आने पर ही दी जाएगी।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार



निदेशक(आरसीएच)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान, जयपुर

दिनांक: 22.1.14

क्रमांक: चि.प.क./सीएच/एम.टी.सी./14/9618

प्रतिलिपी:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सहायक, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं प.क.सेवायें, राज., जयपुर।
2. निजी सहायक, शासन सचिव चि.प.क. एवं मिशन निदेशक, एनएचएम, जयपुर।
3. निजी सहायक अतिरिक्त मिशन निदेशक, एनएचएम, जयपुर।
4. परियोजना निदेशक, एनएचएम जयपुर।
5. समस्त संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन - राजस्थान।
6. डॉ. संगीता जेकब, पोषण विशेषज्ञ, यूनिसेफ, जयपुर।
7. समस्त कुपोषण उपचार केन्द्र इंचार्ज, मेडिकल कॉलेज/जिला अस्पताल/उप जिला अस्पताल/सीएचसी।
8. प्रभारी, सर्वर रुम, मुख्यालय।


निदेशक(आरसीएच)

राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें, राजस्थान जयपुर

क्रमांक: चि.प.क./सीएच/13/ 7064

दिनांक :- 6.3.13

समस्त मुख्य स्वास्थ्य एवं चिकित्सा अधिकारी,
राजस्थान।

विषय : MUAC टेप की सप्लाई प्राप्त होने पर उसके वितरण (Distribution) एवं प्रशिक्षण (Training) के सन्दर्भ में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत आपको निर्देशित किया जाता है कि निदेशालय, चि.एवं स्वा. विभाग, राज. जयपुर से MUAC टेप की सप्लाई प्राप्त होने के पश्चात् आप MUAC टेप का वितरण (Distribution) संलग्न लिस्ट के अनुसार आपके जिले में करवायें तथा साथ ही फील्ड स्टाफ का प्रशिक्षण (आंगनवाडी कार्यकर्ता, आंगनवाडी सहायिका, आशा एवं बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं (ANM/MPW) का जिला स्तर एवं ब्लॉक स्तर की मीटिंग में करवायें तथा अति-कुपोषित बच्चों की Screening कर उनका रेफरल संबंधित कुपोषण उपचार केन्द्रों में करवायें।

इसके अतिरिक्त अभी आपके जिले में जहाँ भी मजदूरी हास के रूप में 135/- प्रतिदिन के हिसाब से दिये जा रहे है उनका उपयोगिता प्रमाण-पत्र (U.C.) भी भिजवायें। सभी की प्रगति रिपोर्ट projectdirectorh@gmail.com पर मासिक प्रगति रिपोर्ट के साथ भिजवाना सुनिश्चित करायें।

नोट:-सभी मेडिकल कॉलेजों, जिला चिकित्सालयों, सब डिविजन चिकित्सालयों, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों, कुपोषण उपचार केन्द्रों एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर 10-10 MUAC टेप उपलब्ध कराये तथा बाकी बचे हुए मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी अपने कार्यालय में रखें, ताकि भविष्य में काम आ सके तथा स्टाफ की ट्रेनिंग के लिए भी काम आ सके।

अलडन - जिलेवार वितरण तालिका

निदेशक (आरसीएच)

क्रमांक: चि.प.क./सीएच/13/ 7064

दिनांक :- 6.3.13

प्रतिलिपि :-

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, चिकि.स्वा.एवं प.क.एवं मिशन निदेशक, एन.आर.एच.एम, जयपुर।
3. निदेशक, (आरसीएच) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राज. जयपुर।
4. परियोजना निदेशक, शिशु स्वास्थ्य।
5. समस्त संयुक्त निदेशक, राजस्थान।
6. प्रभारी, सर्वर रुम, मुख्यालय।

निदेशक (आरसीएच)

Consignee Address - मिशनर MUAC's के द्वारा वितरण (Distribution) से संबंधित तालिका (Table)

क्र.सं.	पते का नाम	AMW	सामग्री	मि.सं. के सामान	एन/ए	वजन (किग्रा.)	एन/एम/पी	Total	No. of MUAC Tapes To Be Supplied
1	शुद्ध	1000	1000	100	1341	436	5272	6000	
2	शुद्ध	3007	3041	176	2061	701	9076	10000	
3	शुद्ध	1300	1302	38	1613	504	6265	7000	
4	शुद्ध	1516	1507	140	1164	272	4271	5000	
5	शुद्ध	2718	2644	218	1808	698	8041	9000	
6	शुद्ध	1758	1740	87	1536	536	5667	7000	
7	शुद्ध	1908	1920	229	1690	541	6191	7000	
8	शुद्ध	1237	1240	34	1108	454	4133	5000	
9	शुद्ध	980	985	145	873	238	3201	4000	
10	शुद्ध	1379	1379	325	1227	434	4748	5000	
11	शुद्ध	1481	1483	80	1316	492	4876	5000	
12	शुद्ध	1288	1294	68	772	249	4139	5000	
13	शुद्ध	977	940	438	1206	422	2808	4000	
14	शुद्ध	1599	1611	103	1418	428	5303	6000	
15	शुद्ध	1710	1694	100	1400	354	3688	5000	
16	शुद्ध	1115	1108	66	1007	470	3409	5000	
17	शुद्ध	2000	2000	100	1400	400	5900	7000	
18	शुद्ध	2000	2000	100	1400	400	5900	7000	
19	शुद्ध	983	985	53	389	183	1793	3000	
20	शुद्ध	1237	1169	71	442	339	3650	5000	
21	शुद्ध	1245	1198	131	1097	470	3409	5000	
22	शुद्ध	1824	1628	20	1484	597	5733	6000	
23	शुद्ध	2188	2087	138	1211	759	3363	4000	
24	शुद्ध	1182	1134	74	918	304	3592	5000	
25	शुद्ध	1098	1091	112	1011	228	3501	5000	
26	शुद्ध	2638	2581	117	2245	816	8394	10000	
27	शुद्ध	1622	1591	88	1491	670	5052	6000	
28	शुद्ध	1082	1089	134	878	223	3321	4000	
29	शुद्ध	1083	1028	102	868	279	3330	4000	
30	शुद्ध	949	941	77	820	278	3105	4000	
31	शुद्ध	1995	1977	76	1875	663	6586	7000	
32	शुद्ध	748	765	28	406	238	2185	3000	
33	शुद्ध	1187	1178	201	991	323	3857	5000	
34	शुद्ध	2002	2049	302	1628	737	8113	9000	
	कुल	3724	3724	4470	4376	14781	18848	207000	

नोट - सभी अधिकृत व्यक्तियों, मिशनर विकल्पालयों, तब विविध विकल्पालयों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों, प्रत्येक उपग्रह केंद्रों एवं शैक्षणिक स्वास्थ्य केंद्र पर 10-10 MUAC टेप उपलब्ध कराये तथा बाकी बचे हुए मुख्य विकल्पालय एवं स्वास्थ्य अधिकारी अपने कार्यालय में एवं अन्य व्यक्तियों में काम आ सके तथा स्वास्थ्य की दृष्टि के लिए भी काम आ सके।



Government of Rajasthan
Rajasthan State Health Society, National Rural Health Mission
Swasthya Bhawan, Tilak Mark, Jaipur-302005

F. 21NRHM/ASHA/PIP/2013-14

7097

Date:- 3/12/13

Administrative and Financial Sanction

Administrative and Financial sanction of Rs. 702500/- (Seven Lacs Two Thousand and Five Hundred only) and Rs. 491750/- (Four Lacs Ninety One Thousand Seven Hundred and Fifty Only) is hereby accorded to 34 districts as per approval received in Supplementary PIP 2013-14 under Budget Head B.1.1.3.5.3 and B.1.1.3.5.4 respectively. Details are as below:-

S. No.	District Name	Rs. 100 per case incentive to ASHA for referral of SAM (Severely Acute Malnourished) children from Community - FMR code B.1.1.3.5.3	Rs. 200 per case incentive to ASHA for Transport purpose for referral of SAM (Severely Acute Malnourished) children from Community - FMR code B.1.1.3.5.4
1	Ajmer	22500	
2	Alwar	22500	15750
3	Banswara	22500	15750
4	Baran	22500	15750
5	Barmer	35000	24500
6	Bharatpur	22500	15750
7	Bhilwara	22500	15750
8	Bikaner	22500	15750
9	Bundi	22500	15750
10	Chittorgarh	15000	10500
11	Churu	15000	10500
12	Dausa	15000	10500
13	Dholpur	22500	15750
14	Dungarpur	22500	15750
15	Ganganagr	15000	10500
16	Hanumangarh	15000	10500
17	Jaipur - 1	22500	15750
18	Jaipur - 2	22500	15750
19	Jaisalmer	22500	15750
20	Jalore	22500	15750
21	Jhalawer	22500	15750
22	Jhunjhunu	22500	15750
23	Jodhpur	22500	15750
24	Karuli	22500	15750
25	Kota	15000	10500
26	Nagaur	22500	15750
27	Pali	22500	15750
28	Pratapgarh	15000	10500

29	Rajsamand	22500	15750
30	S. Madhopur	15000	10500
31	Sikar	15000	10500
32	Sirohi	22500	15750
33	Tonk	22500	15750
34	Udaipur	22500	15750
	Total	702500	491750

Districts are directed to submit the progress reports of above on monthly basis so that it can be submitted to Gol as per condition imposed in the Supplementary approval 2013-14. The amount shall be debited under Budget Heads mentioned above in FMR 2013-14.


Secretary

Medical, Health & Family Welfare
& Mission Director, NRHM

Copy to:-

1. PS to MD, NRHM
2. PS to Addl. MD, NHM
3. PD, NRHM
4. Director (F), NRHM
5. Project Director, Child Health with direction to monitor the performance and submit the progress report to Gol as per condition imposed in the approval.
6. All Chief Medical and Health Officers.
7. All DPMs and DAMs.
8. Incharge Server Room for mailing to all concerned.
9. Guard File.


Secretary

Medical, Health & Family Welfare
& Mission Director, NRHM